<b) if so, how many acres of land has become useless for agricultural purpose as a result thereof; and

(c) what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS INDEPENDENT CHARGE) (SHRI KAMAL NATH): (a) The emissions from the unit are meeting the prescribed standards and there is no report about the surrounding land being degraded due to pollution from the units.

(b) and (c) Do not arise.

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति

188. डा० अबरार अहमद :
श्रीमती सत्या बहिन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये नई नीति अपनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनके निर्यात के लिये इस समय सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं तथा वे कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें बिना लाइसेंस प्राप्त किये निर्यात किया जा सकता है;

(ख) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण श्रमिकों, किसानों या मध्यवर्गीय लोगों को निर्यात योग्य वस्तुओं का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उनके उत्पाद के अनुकूल दाम सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाएंगे; और

(घ) पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान किन-किन वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है तथा उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 1991 को एग्जिम नीति में महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तनों की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत निर्यात संबद्ध आयात के लिए अब मुख्य साधन अर्थात् प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की दर में वृद्धि कर दी गई है और उसे 30% की समान दर पर निर्धारित किया गया है। इससे कम आयात प्रबलता के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

अग्रिम लाइसेंसिंग योजना का जिसके अधीन निर्यात संबद्ध आयात की अनुमति दी जाती है, सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

अग्रिम लाइसेंसिंग निर्यात के लिए आरईपी दर को निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के 10% से बढ़ाकर निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के 20% कर दिया गया है।

कुछ और उपाय पहले ही किए गए हैं।

इस समय निर्यात नीति वाल्यूम 3, 1990–93 में प्रकाशित निर्यात नियंत्रण आदेश, 1988 की अनुसूची–I के भाग (क) में विहीत किसी भी मद और अनुसूची–I के भाग ख की सूची I तथा सूची 2 में विहित मदों के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस अपेक्षित होता है। सूची 3 में शामिल मदों की अनुमति निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 3 के अन्तर्गत दी जाती है और सूची 4 में उल्लिखित मदों का निर्यात सरणीयन अभिकरणों द्वारा किया जाना अनुमेय है। जो मदें अनुसूची I के भाग ख में सूचीबद्ध नहीं हैं और न तो वे अनुसूची I के भाग ख की 4 सूचियों में शामिल हैं उनके निर्यात की अनुमति सभी अनुमेय गंतव्यों को बिना किसी निर्यात लाइसेंस के दी जाती है।

(ख) और (ग) निर्यात आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और ग्रामीण श्रमिकों, किसानों अथवा मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार देने वाले

लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए जब और जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार आवश्यक उपाय किए जाते हैं। आरईपी दर को बढ़ाकर 30% करने से कृषि जैसे क्षेत्रों को विशेष सहायता मिलेगी। निर्यात घराने/व्यापार घराने/स्टार निर्यातकों के रूप में मान्यता दिए जाने के प्रयोजन से लघु उद्योग क्षेत्र, हस्तशिल्प विनिर्माता शिल्पियों और कुटीर उद्योग में लगे लोगों को अधिमानी व्यवहार दिया जाएगा।

(घ) विदेशी मुद्रा आंकड़ों का संकलन वित्तीय वर्ष आधार पर किया जाता है। जिन मदों के निर्यात में 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान गिरावट आई है उनमें कॉफी, मसाले, रत्न एवं आभूषण शामिल हैं। जहां एक ओर कॉफी के निर्यात में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की मदों की वजह से गिरावट आई है, वहां दूसरी ओर रत्न एवं आभूषण के निर्यात में विश्व हीरा व्यापार मंदी के कारण गिरावट आई है।

Establishment of a Bank in Tamil Nadu to rehabilitate Sick Industries

1X9. SHRI **R.** T. GOPALAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether the Tamil Nadu Government has requested the Central Government to permit the establishment of a bank exclusively for rehabilitating sick indus -tries in the State;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what decision has been taken by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DAL-BIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Filling up Vacancies of Non-Official Directors in Banks and Financial Institutins

190. SHRl R. T. GOPALAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

la) whelher the vacancies of non-officia! Directors in the nationalised banks and financial institutions have been filled up;

(b) if so, what are the names of the non-official Directors appointed on these banks and financial institutions as at present; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative the reasons therefor and by when these vacancies are likely to be filled in?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DAL-BIR SINGH): (a) to (c) At present, 99 non-official directors (list attached) are in position on the Boards of Nationalised Banks and 81 posts are still lying vacant and are expected to be filled up soon. There arc no non-official Directors on the Boards of financial institutions *viz.* Industrial Development Bank, Industrial Reconstruction Bank. Export Import Bank. Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation.

Names of non-official Directors in position on the Boards of 20 *Nationalised banks*

Allahahc d Bank

1. Smt. Suman Lata
2 Shri A. N. Jaggi
3. Smt. Rehana Begum
4. Shri Paradeep Kumar Sharma
5. Shri P. N. Shah
6 Prof Mohd. Shabir Kb an
7. Shri M. Narayanappa

A idhra Bank

1. Smt. Pushpa Vijayrao Bonde
2 Shri P. Rajagopal Na idu
3 Prof. Ram Pal Kaushik